

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०८ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती अंजू तिवारी	रा०हो०चि०, किच्छा, ऊधमसिंह नगर	रा०हो०चि०, हरीशताल, नैनीताल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 2०९ /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर/नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:-०८ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री बृजेश काला	रा०हो०चि०, जिला चिकित्सालय, देहरादून	रा०हो०चि०, फनार, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 210 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- 08 जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती अमृता पैन्थूली	रा०हो०चि०, रायवाला, देहरादून	रा०हो०चि०, हिण्डोलाखाल, टिहरी	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 211 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०८ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री आलोक द्विवेदी	रा०हो०चि०, खानपुर, हरिद्वार	रा०हो०चि०, चकराता, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 212/नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- 08 जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री धीरेन्द्र उनियाल	रा०हो०चि०, डोईवाला, देहरादून	रा०हो०चि०, कटूड़, टिहरी गढ़वाल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 213/नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०८ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री प्रवेश उनियाल	रा०हो०चि०, फनार देहरादून	रा०हो०चि०, जिला चिकित्सालय, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 214 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०८ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती दीपिका रमोला	रा०हो०चि०, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल	रा०हो०चि०, स्यालना, उत्तरकाशी	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 215 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री अशोक लाल	रा०हो०चि०, बगुलिया, ऊधमसिंह नगर	रा०हो०चि०, किच्छा, ऊधमसिंह नगर	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 216 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ८४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती प्रीति राणा	रा०हो०चि० खीड़ा, अल्मोड़ा	रा०हो०चि० द्वारगढ़, टिहरी गढ़वाल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 217 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री महिराज सिंह	रा०हो०चि० जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़	रा०हो०चि० बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 208 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री अरुण भट्ट	रा०हो०चि० हिण्डोलाखाल, टिहरी गढ़वाल	रा०हो०चि० रायवाला, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 203 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री राजेन्द्र कुमार	रा०हो०चि० स्यालना, उत्तरकाशी	रा०हो०चि०, डोईवाला, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 204 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री सुरेश पैन्थूली	रा०हो०चि० कटुड़, टिहरी गढ़वाल	रा०हो०चि० नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 205 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:-०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री विनोद शर्मा	रा०हो०चि० चकराता, देहरादून	रा.हो.चि. खानपुर, हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 206 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2023-24,

दिनांक:- ०८ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मई, 2023 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1290/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	मो० इमरोज	रा०हो०चि० द्वारगढ़, टिहरी गढ़वाल	रा०हो०चि० लण्डौरा, हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 207/नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2023-24, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।